

**AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL/CAO(Rev. /Cont.)/Sr. AO (Rule)/F.68 /OO/D.303 Dated 13.9.10

**ORDER**

**Sub:-** Procedure for sanction of AGI to Nigam employees under **RCS (RPS) Rules, 2008, whose pay in the Running Pay Band exceeds the maximum of Running Pay Band after grant of AGI.**

In exercise of the powers conferred vide order No. AVVNL/CAO/ Rules/ F./(13)/D-505 dated 03.11.2001 (Order-11), the Managing Director, AVVNL, is pleased to adopt the Finance Department, Government of Rajasthan's clarification No. F11(7)FD/Rules/08 dated 17.08.2010 (copy enclosed), regarding procedure for sanction of AGI to Govt. servants under RCS (RPS) Rules, 2008, whose pay in the Running Pay Band exceeds the maximum of Running Pay Band after grant of AGI.

By Order,

(M. K. Jain)

Chief Accounts Officer (R&C)  
AVVNL, Ajmer

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Technical), AVVNL, Ajmer.
2. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), AVVNL, \_\_\_\_\_.
3. The Chief Accounts Officer (ATB / IA & W&M), AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Zonal Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu.
6. The Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, \_\_\_\_\_.
7. The Superintending Engineer (RPPC), AVVNL, Jaipur.
8. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL Ajmer / Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/Sikar with the request to circulate this order among division/Sub division under his control.
9. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
10. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
11. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer.
12. Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ ) , AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu
13. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/Budget/W&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/Nagaur/Udaipur/Chittorgarh/Banswara/Rajsamand/Sikar/ Jhunjhunu.
14. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, \_\_\_\_\_.
15. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(नियम अनुभाग)

स्पष्टीकरण

क्रमांक सं. प.11(7)वित्त/नियम/08

जयपुर, दिनांक 17 AUG 2010


विषय:- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008-सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का तरीका जिनका वेतन, वेतन वृद्धि की राशि जोड़ने पर रनिंग पे बैंड के अधिकतम से अधिक हो जाता है।

प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों द्वारा उन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के तरीके के सम्बंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है, जिनका वेतन, वेतन वृद्धि की राशि जोड़ने पर रनिंग पे बैंड के अधिकतम से अधिक हो जाता है।

उक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी का वेतन, वेतन वृद्धि की राशि को जोड़ने पर रनिंग पे बैंड के अधिकतम से अधिक हो जाता है तो ऐसे मामलों में वेतन रनिंग पे बैंड के अधिकतम पर स्थिर किया जावेगा। उदाहरणार्थ एक सरकारी कर्मचारी जो रनिंग पे बैंड 4750-7440 (IS) में वेतन रू. 7220/- तथा ग्रेड पे रू. 1650/- प्राप्त कर रहा है तथा वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर उसका वेतन रू. 7490/- होता है परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन रू. 7440/- पर ही स्थिर किया जावेगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 15 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने रनिंग पे बैंड के अधिकतम पर पहुच जाते हैं, उन्हें रनिंग पे बैंड के अधिकतम पर पहुचने के एक वर्ष पश्चात आगामी रनिंग पे बैंड में वेतन देय होगा। आगामी रनिंग पे बैंड में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा परन्तु ग्रेड पे अपरिवर्तित रहेगी।

यह स्पष्टीकरण उन कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो राजस्थान कार्य प्रभारित कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।



(यदुवेन्द्र माथुर)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)